

फर्द अहकाम

अज अदालत SDO (नियम 26) खीरपुर
 मुकाम खीरपुर
श्री धिरालाल बनाम श्री उदयलाल
 किस्म मुकदमा उड R.T. Act नं. 22/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/5/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>खीरपुर</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का याद पत्र अन्तर्गत धारा <u>53</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>धिरालाल</u> को <u>उदयलाल</u> द्वारा <u>उड R.T. Act</u> के तहत पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>उड R.T. Act</u> <u>धिरालाल</u>, <u>नारायण</u>, <u>कुशावती</u> के <u>उदयलाल</u> को <u>उड R.T. Act</u> के तहत पेश किया गया।</p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

सु
20/5/18
सुन्दर कुमार पाण्डे
 RAS
 पीठाधीन अधिकारी, लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पलेन सहायक कलेक्टर
 बडीसादडी (राज.)

